संख्या-212/2015/3958/नौ-5-2015-39बजट/2015

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
फिरोजाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 30 जून, 2015

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत निकाय को द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-951/सा0प्रा0/2015-16 दिनांक 18.06.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद फिरोजाबाद में **मा0मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के अनुपालन में** नगर निगम, फिरोजाबाद को शासनादेश संख्या-33/2015/1228/नौ-5-2015-39बजट/2015 दिनांक 02.03.2015 द्वारा सड़कों के निर्माण कार्यो हेतु **रू. 2922.73** लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 500.00 लाख की धनराशि निर्गत की गयी। नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा प्रथम किश्त की धनराशि का उपभोग करते हुए द्वितीय किश्त की धनराशि को अवमुक्त करने को अनुरोध के दृष्टिगत शासनादेश संख्या102-2015-5-नौ/2175-बजट 2015/दिनांक 31 मार्च, 2015 द्वारा उ0प्र0 जल निगम के पी0एल0ए0 में वित्तीय वर्ष 2014-15 में इस मद में रक्षित धनराशि **रू. 3570.29** लाख में से वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन द्वितीय किश्त की धनराशि **रू. 2422.73 लाख (रू. चौबीस करोड़ बाईस लाख तिहत्तर हजार मात्र)** आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

**(रू. धनराशि लाख में)**

| जिले का नाम | नागर निकाय का नाम | निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश एवं दिनांक | निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति | प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि | द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **फिरोजाबाद** | नगर निगम, फिरोजाबाद | 33/2015/1228/नौ-5-2015-39बजट/2015दि. 02.03.2015 | 2922.73 | 500.00 | 2422.73 |
| | | **योग** | | | **2422.73** |

**(रू. चौबीस करोड़ बाइस लाख तिहत्तर हजार मात्र)**

(1) अवमुक्त धनराशि उ0प्र0 जल निगम द्वारा पी0एल0ए0 से आहरित कर नगर निगम, फिरोजाबाद को तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को **दिनांक 31-03-2016** तक संबंधित निकाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

(5) उक्त के अतिरिक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 02.03.2015 द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

( उमा शंकर सिंह )
संयुक्त सचिव।

संख्या-212/2015/3958(1)/नौ-5-2015-39बजट/2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ.प्र. इलाहाबाद।
2. मण्डलायुक्त, आगरा।
3. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद।
4. कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5. महापौर, नगर निगम, फिरोजाबाद।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त धनराशि को पी0एल0ए0 से आहरित कर नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1/2)
10. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,

( उमा शंकर सिंह )
संयुक्त सचिव।